छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 302/2006</u>

श्री मनोज कुमार साहू,
आत्मज श्री आर. एस. साहू,
मकान नं. ए/60
आदर्श नगर, कुशालपुर,
गुड्डू जनरल स्टोर्स के सामने, ... अपीलार्थी
रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
रायपुर (छ.ग.) .... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::
(दिनांक 03 नवम्बर 2006)

श्री मनोज कुमार साहू निवासी रायपुर के द्वारा दिनांक 3–8–2006 को आयोग के समक्ष अपीलीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के आदेश दिनांक 14 जुलाई 2006 से असंतुष्ट होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य सेवा (प्रारंभिक परीक्षा 2005) में आवेदक के द्वारा लिखी गई उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति सभी वर्गों के प्रारंभिक परीक्षा के ऐच्छिक 23 विषयों को लेकर प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित कुल उम्मीदवारों की विषयवार संख्या एवं उपरोक्त विषयों से चयनीत उम्मीदवारों की विषयवार अलग–अलग जानकारी, चयनीत अंतिम प्रत्याशियों के वर्गवार स्केलिंग के पूर्व एवं पश्चात् प्राप्तांक ऐच्छिक विषयों की वर्गवार चयनीत प्रत्याशियों की कट–ऑफ मार्क्स की जानकारी आवेदन पत्र दिनांक 12–5–2006 के द्वारा मांगी थी। जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया कि राज्य सेवा परीक्षा–2005 की प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है। परीक्षा एवं चयन की प्रक्रिया के दौरान कोई जानकारी नहीं दी जा सकती। इसके विरूद्ध अपीलार्थी ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने अपील अस्वीकार की, जिसके विरूद्ध आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

3/ आयोग के द्वारा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी का तर्क यह है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में प्रत्येक वर्ग आरक्षित, अनारक्षित,

विकलांग, पुरूष एवं महिला के मुख्य परीक्षा हेतु अर्हता पाये गये आवेदकों में श्रेणीवार अंतिम अर्हता प्राप्त आवेदकों के प्राप्तांक सूचित किये गये हैं, अतः छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा भी जानकारी दी जाना चाहिए। प्रतिअपीलार्थी ने बतलाया कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा भी परीक्षा एवं चयन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् होने के बाद जानकारी दी गई है। परीक्षा एवं चयन प्रक्रिया के जारी रहने के दौरान जानकारी दिये जाने से परीक्षा की गोपनीयता भंग होगी तथा परीक्षा प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। आयोग के नियम भी हैं कि आयोग प्रारंभिक परीक्षा के लिए अंकसूची प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि यह केवल स्क्रीनिंग परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा की अंकसूचियां अंतिम परिणाम के पश्चात् भेजी जावेगी। प्रतिअपीलार्थी के द्वारा उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति भी सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–8(जे) के अंतर्गत दिया जाना उचित नहीं माना, क्योंकि उत्तरपुस्तिका की प्रति प्रदान करना लोकहित में उचित नहीं है।

4/ प्रकरण से स्पष्ट है कि लोकहित में परीक्षा की गोपनीयता बनाये रखना आवश्यक है। अधिनियम की धारा–8(1)(जे) के अंतर्गत उत्तरपुस्तिकाओं की प्रति दी जाना लोकहित में नहीं मान्य किया जा सकता। यह भी उल्लेखनीय है कि चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक परीक्षा एवं चयन की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी परीक्षा की गोपनीयता एवं गरिमा को दृष्टिगत रखते हुए दी जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी के द्वारा मांगी गई जानकारी से परीक्षा की गोपनीयता भंग होती है। अतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 14 जुलाई 2006 में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

हस्ता0/– 03–11–2006
(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त